न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–36/2016/टोंक (2016/00059)

1. प्रदीप दत्तक पुत्र राजबिहारी, जाति पारीक, निवासी भूरटिया, तहसील निवाई जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. अन्जू माता चान्द देवी पुत्री राजबिहारी पारीक,
2. यशोदा माता चान्द देवी पुत्री राजबिहारी पारीक,
3. अनिता माता चान्द देवी पुत्री राजबिहारी पारीक,
4. प्रेम देवी माता चान्द देवी पुत्री राजबिहारी पारीक,
   समस्त जाति पारीक ब्राह्मण, निवासी भूरटिया, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
5. ग्राम पंचायत लुहारा, तहसील निवाई, जिला टोंक ।
6. तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक दिनांक 10.2.2016 अंतर्गत अपील संख्या 3/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 10.2.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 अन्जू द्वारा नामांतकरण संख्या 772दिनांक 20.2.2015 ग्राम पंचायत, लुहारा के

विरूद्ध अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की माता की छोड़ी हुई खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1243 रकबा 73 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 442 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 443 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 444 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 458 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 572 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 अपीलांट की माता मु0 चान्द देवी बेवा राजबिहारी पारीक ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि की वसीयत रेस्पो0 संख्या 1 के हक में दिनांक 24.4.2006 को रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराई थी । मु0 चान्द देवी बेवा राजबिहारी पारीक की मृत्यु के बाद से आज दिन तक मौके पर अपीलांट शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है । रेस्पो0 संख्या 1 की माता चान्द देवी के देहांत दिनांक 4.6.2006 के पश्चात् नामांतकरण संख्या 772 मुताबिक वसीयत तस्दीक नहीं कर विरासत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया जिससे नामांतकरण संख्या 772 दिनांक 20.2.2015 अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने एकतरफा निर्णय पारित करते हुए निर्णय दिनांक 10.2.2016 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 772 दिनांक 20.2.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, निवाई को प्रतिप्रेषित किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की वसीयत को मध्य नजर रखते हुए नामांतकरण की कार्यवाही करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि स्व0 राजबिहारी पारीक द्वारा अपीलांट को गोद लिया गया था तथा इस बाबत् दिनांक 13.7.1998 को गोदनामा भी रजिस्टर्ड कराया गया था । प्रार्थी ने एक नियमित वाद बाबत् उद्घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2013 को पारित कर प्रार्थी को स्व0 राजबिहारी का दत्तक पुत्र मानते हुए विवादित आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 773 दिनांक 27.2.2015 तस्दीक किया गया । इस प्रकार प्रार्थी वर्तमान में विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा प्रार्थी की पीठ पीछे एकतरफा में आक्षेपित निर्णय पारित कराया गया है जिससे प्रार्थी व्यथित है तथा प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0

स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.2.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि अपीलांट भी विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर अपील में आवश्यक पक्षकार था । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रथमदृष्टया अपील संधारण योग्य नहीं थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात मु0 चान्द देवी बेवा राजबिहारी पारीक की आराजियात है जिनका विरासती नामांतकरण संख्या 772 दिनांक 20.2.2015 ग्राम पंचायत लुहारा द्वारा उनकी पुत्रियों वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में तस्दीक किया गया इसके पश्चात अपीलांट द्वारा एक नियमित वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में बाबत् उद्घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी/अपीलांट ने निवेदन किया कि राजबिहारी पारीक ने अपीलांट को नाबालिग अवस्था में रीति–रिवाजों के अनुसार गोद लिया था और दिनांक 13.7.1998 को गोदनामा रजिस्टर्ड कराया गया जिससे अपीलांट स्व0 राजबिहारी का दत्तक पुत्र है तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी/अपीलांट का भी हक व हिस्सा नियत है । अधी0न्याया0 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)निवाई ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2013 द्वारा अपीलांट को स्व0 राजबिहारी पारीक का दत्तक पुत्र मानते हुए वाद डिक्री कर अपीलांट को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जिसकी पालना में नामांतकरण संख्या 773 दिनांक 27.2.2015 तस्दीक किया गया लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जबकि नामांतकरण संख्या 773 तस्दीक होने के उपरांत नामांतकरण संख्या 772 प्रभाव में नहीं था तथा ना ही नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि नियमित वाद में पक्षकारों के हक व अधिकार निर्धारित कर दिये जाते है तो नामांतकरण जो कि एक फिस्कल कार्यवाही है, में पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा उक्त सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के प्रभाव में रहते नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी एवं पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसके द्वारा निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना चाहिये था । अपीलांट के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6. 2013 को आज दिवस तक चुनौती नहीं दी गई है । यह नैसर्गिक न्याय

का सुस्थापित सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध अपील में जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किया जावे । xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 की माता स्व0 चान्द देवी पत्नि राजबिहारी पारीक थी । चान्द देवी ने अपने जीवनकाल में अपनी संपूर्ण आराजियात की वसीयत रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.4.2006 को रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई थी । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात पर वसीयत के आधार पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है । ग्राम पंचायत, लुहारा ने नामांतकरण संख्या 772 दिनांक 20.2.2015 को तस्दीक करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 1 को नोटिस नहीं दिया तथा ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत को सही मानते हुए नामांतकरण संख्या 772 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, निवाई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वसीयत के मध्यनजर नामांतकरण की कार्यवाही करे । अधी0न्याया0 का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है ।

6- हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 को निर्णित करना उचित समझते है । प्रार्थी/अपीलांट का कथन है कि स्व0 राजबिहारी पारीक द्वारा अपीलांट को गोद लिया जाकर दिनांक 13.7.1998 को गोदनामा पंजीकृत कराया गया था तथा प्रार्थी के पक्ष में नियमित वाद बाबत् उद्घोषणा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसतुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2013 को स्वीकार कर प्रार्थी को विवादित आराजियात में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में प्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 773 दिनांक 27.2.2015 भी तस्दीक किया जा चुका है। चूंकि अपीलांट नामांतकरण संख्या 773 दिनांक 27.2.2015 के विवादित आरायिजात में 1/6 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आरायिजात के संबंध में नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उक्त तथ्य छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की जिसमें अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया तथा एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.2.2016 पारित करवाया है । अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.2.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि स्व0 राजबिहारी पारीक ने अपीलांट को पंजीकृत गोदनामा दिनांक 13.7.1998 द्वारा अपीलांट को गोद लिया था तथा उक्त पंजीकृत गोदनामे के आधार पर अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में राजस्व वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6. 2013 द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलांट को विवादित आराजियात में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में नामांतकरण संख्या 773 दिनांक 27.5.2015 भी तस्दीक किया जा चुका है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जबकि इससे पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6. 2013 की पालना में नामांतकरण संख्या 773 दिनांक 27.5.2015 को तस्दीक किया जा चुका था । अतः नामांतकरण संख्या 773 के तस्दीक होने से नामांतकरण संख्या 772 स्वतः स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका था इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । जहां तक रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में स्व0 चांददेवी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 24.4.2006 का प्रश्न है उक्त वसीयत को सिद्ध करने का भार रेस्पो0 संख्या 1 पर था तथा उक्त वसीयत के संबंध में समस्त वारिसान को सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं था तथा अन्य वारिसान की अनुपस्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना रेस्पो0 संख्या 1 कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है तथा ना ही राजस्व न्यायालय को वसीयत के विनिश्चयन का अधिकार ही है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट को स्व0 राजबिहारी पारीक द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 24.6.2006 द्वारा गोद लिया गया है तथा उक्त गोदनामे के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर अपीलांट को विवादित आराजियात में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जिससे यह सिद्ध है कि अपीलांट स्व0 राजबिहारी एवं स्व0 चान्ददेवी का विधिक वारिसान है जिसका भी विवादित आराजियात में 1/6 होने से उसके पक्ष में वाद डिक्री किया गया तथा उक्त वाद की पालना में ही नामांतकरण संख्या 773 विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । रेस्पे0 संख्या

1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 772 के विरूद्ध अपील स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं कर नामांतकरण संख्या 772 के तथ्य छिपाते हुए प्रस्तुत की गई है । नामांतकरण संख्या 773 उपखण्ड अधिकारी, निवाई के निर्णय व डिक्री की पालना में तस्दीक हुआ जिसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना रेस्पो0 संख्या 1 कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । वैसे भी नामांतकरण संख्या 773 तस्दीक होने के उपरांत नामांतकरण संख्या 772 स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी संधारण योग्य नहीं थी । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 36/2016 (2016/00059) बउनवानी प्रदीप बनाम अन्जू को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक द्वारा अपील संख्या 3/2015 बउनवान अन्जू बनाम यशोदा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 10.6.2016 को अपास्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर